01.07.25 अधिवक्ताओं उपस्थित अर्थना-पत्र पर पुनः सुना गया तथा उभय पक्ष की पूर्व में भी अभी दस्त के आधार पर ही आदेश किये जाने का निवेदन किया अतः पत्रावली 04.07.25 को पेश हो।

अपर जिला न्यायाधीश
फतेहपुर-शेखावाटी (सीकर) राज.